

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2388/2026

Prakash S/o Bheraram, Aged About 26 Years, R/o Saran Nagar
Bawarla, Police Station Dangiawas, District Jodhpur. (Presently
Lodged In Central Jail Jodhpur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sanjay Bishnoi Mr. Naresh Singh Rajpurohit Mr. Vikas Bishnoi
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

27/03/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना रोहट, जिला पाली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 64/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 18 एन.डी.पी.एस. एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।
02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में प्रार्थी-अभियुक्तगण पर एस्कोर्टिंग करने का झूठा आरोप लगाया गया है। मुख्य अभियुक्तगण के साथ प्रार्थी-अभियुक्त की कॉल डिटेल नहीं है। प्रार्थी-अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है और जिस गाड़ी को छोड़कर भागने का आरोप है, उस पर प्रार्थी-अभियुक्त को सवार अवस्था में किसी के द्वारा नहीं देखना बताया है। जो वाहन छोड़कर भागना बताया है, वह भी प्रार्थी-अभियुक्त का नहीं है। ऐसी स्थिति में धारा 37 की अपवादित परिस्थितियां इस मामले में विद्यमान हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध किया गया तथा यह स्वीकार किया गया कि प्रार्थी-अभियुक्त की सह-अभियुक्तगण के साथ कोई कॉल डिटेल् प्राप्त नहीं हुई है परंतु, जिस रास्ते से आर्टिकल लेकर सह-अभियुक्त आया था, उस रास्ते की कॉल लोकेशन प्रार्थी-अभियुक्त की भी प्राप्त हुई है। इस आधार पर प्रार्थी-अभियुक्त को इस अपराध में संलिप्त किया गया है। प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में प्रार्थी-अभियुक्त की कोई कॉल डिटेल् मुख्य अभियुक्तगण के साथ की पेश नहीं की गई है। जिस वाहन को छोड़कर भागने का आरोप है, वह प्रार्थी-अभियुक्त का होना नहीं पाया गया है। इस स्टेज पर धारा 37 की अपवादित परिस्थितियां विद्यमान हैं। इस न्यायालय का प्रथम दृष्ट्या यह मत है कि प्रार्थी-अभियुक्त इस अपराध में संलिप्त नहीं है और प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने पर उसके द्वारा ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की भी कोई संभावना नहीं है।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **प्रकाश पुत्र भैराराम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J